राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–प०नि० 30–23/2018 1974

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
गोपालगंज।

पटना, दिनांक– 30.04.24

विषय :– प्रखंड भोरे ग्राम पंचायत गोपालपुर के उप मुखिया अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 738 दिनांक 08.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि **प्रखंड भोरे ग्राम पंचायत गोपालपुर के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना में कारण/आरोप अंकित नहीं है, जो बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 06 के प्रावधान के अनुरूप नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रांक द्वारा संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त अपने मन्तव्य के साथ स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
30/4/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।